



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 143/2017 धारा- 354 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बटूलाल पुत्र दयाली प्रजापति निवासी ग्राम भुलसी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक
अवधनरेश चन्देल



विवेचक-
उ0नि0 अवनीश
कुमार यादव



पैरोकार
थाना – सिसोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा